संख्या 2293 आर/आठ अनुभाग-5 -408/74

प्रेषक,

शशिभूषण शरण,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट
उत्तर प्रदेश।

गृह पुलिस अनुभाग-5 दिनांक लखनऊ सितम्बर 3, 1977

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है, कि निषिद्ध बोर के आग्नेयास्त्रों का प्रचलन समाप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने काफी समय पूर्व यह निर्देश दिया था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत हैसियत के आधार पर निषिद्ध बोर के आग्नेयास्त्रों का नया लाइसेंस न तो स्वीकार किया जाये और न ही ऐसे आग्नेयास्त्रों के पूर्व स्वीकृत लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जाये। इस संबंध में स्थिति यह है कि निषिद्ध बोर के शस्त्र धारक निम्न श्रेणी में बॉटे जा सकते है:-

1- वह जिनको कि इस प्रकार के शस्त्र रखने की अनुज्ञा भारत सरकार के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश शासन ने दी है।

2- वह जिनके लाइसेंसों की अवधि समय समय पर इस आधार पर बढ़ाई जाती है कि शस्त्रधारक अपने शस्त्र का निस्तारण शासन द्वारा निर्धारित समय के अन्दर कर देगें।

3- भूतपूर्व महाराजा तथा राजा तथा उनके परिवार के छूट प्राप्त सदस्य जिनको निषिद्ध बोर के शस्त्र रखने की सुविधा पहले उपलब्ध थी और आवश्यकतानुसार उन्हें निषिद्ध बोर के आग्नेयास्त्र का एक लाइसेंस दिया गया।

4- ऐसे अन्य मामले जिनमें कि शासन की ओर से कोई विशिष्ट आदेश इस संबंध में इसलिये नही निर्गत किये गये थे कि पूर्ण मामले पर नीति संबंधी निर्णय लिया जाना था।

2- शासन ने कतिपय मामलों में निषिद्ध बोर के शस्त्र धारक को अपने निषिद्ध बोर के शस्त्र का निस्तारण करने के लिये समय दिया है। ऐसे शस्त्र धारकों को यह स्पष्ट कर दिया जाय कि पूर्व स्वीकृत अवधि में अब किसी वृद्धि की प्रार्थना को स्वीकार करना सम्भव न होगा। ~~अब के पूर्ण स्वीकृत अवधि में अब किसी वृद्धि की प्रार्थना को स्वीकार करना सम्भव न होगा।~~ अतः वे पूर्ण स्वीकृति अवधि में ही अपने शस्त्र का निस्तारण

अवश्य कर दें। सम्बन्धित मामलों में स्वीकृत अवधि में शस्त्र निस्तारित किये जाने की सूचना पालन को अलग-अलग यथा समय दी जाय।

3- भूतपूर्व महाराजा/राजा तथा उनके परिवार के छूट प्राप्त सदस्य जिनको पहले निषिद्ध बोर के शस्त्र रखने की सुविधा थी और जिनको आवश्यकतानुसार एक निषिद्ध बोर का लाइसेंस जारी किया गया उनको ऐसे शस्त्र रखने की उनके जीवन काल तक ही उपलब्ध रहेगी और उनकी मृत्यु के पश्चात् समाप्त हो जायेगी।

4- शेष सभी अन्य मामलों मे शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि निषिद्ध बोर के लाइसेंस का नवीनीकरण दिनांक 31-12-77 के पश्चात् न किया जाय और किसी को निषिद्ध बोर के आग्नेयास्त्र का नया लाइसेंस जारी किया जाय। अपासे अनुरोध है कि इस निर्णय का कड़ाई से पालन किया जाय और किसी प्रकार की ढील न बरती जाय।

5- कभी-कभी सेना तथा पुलिस अधिकारियों के संबंध में इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त होता है कि उन्हें निषिद्ध बोर के शस्त्र को रखने की अनुमति दे दी जाय क्योंकि वह उनकी वर्दी का पार्ट है। शासन इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें स्वीकार करने के पक्ष में नही है।

6- जहॉ तक निषिद्ध बोर की श्रेणी में आने वाले शस्त्रों का संबंध है मुझे यह स्पष्ट करना है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार निम्न शस्त्र निषिद्ध बोर के शस्त्रों की श्रेणी में आते हैं परन्तु यदि किसी मामले में आपको शक हो तो जिले के रिजर्व इन्सपेक्टर से रिपोर्ट प्राप्त कर लें:-

(7) Bolt action rifles of .303" or 7.62 M.M. bore or any other bore which can chamber and fire service ammunition of .303" or 7.62 M.M. cailbre.
(8) Semi automatic rifles of .303" or 7.62 M.M. bore which can chamber and fire service ammunition of .303" or 7.62 M.M. calibre.
(9) Muskets of .410" bore or any other bore which can fire .410" Musket ammunition.
(10) Pistols of any bore which can chamber and fire .380" or 455" rimmed cartridges or service 9.M.M. or .45" rimless cartridges.
(11) Revolvers of any bore which can chamber and fire .380" or .455" rimmed cartridges or service 9M.M. or .45" rimless cartridges.
(12) Carbines of any ore which can chamber and fire .380" or .455" rimmed cartridges or service 9M.M. or .45" rimless cartridges.

8- स्टिक गनों का लाइसेंस दिया जाना भारत सरकार ने वर्ष 1932 से ही निषिद्ध कर दिया था परन्तु कुछ ऐसे मामले शासन की जानकारी में आये है जिनमें वर्ष 1932 के पश्चात् स्टिक गनों के लाइसेंस जारी किये गये और ऐसे लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जा रहा है। यह भारत

सरकार की नीति के विपरीत है। अत: यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे लाइसेंस का नवीनीकरण भी 31-12-77 के पश्चात् न किया जाय।

9- कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

(शशि भूषण शरण)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या 2283(1)आर/आठ-अनुभाग-5-408/74

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित:-

1- सचिव, राजस्व परिषदए उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,

(राधेश्याम माथुर)
अनुसचिव।